




माह अप्रैल उत्तर मध्य रेलवे/रे0सु0ब0 प्रयागराज की चयनित अच्छे कार्य निम्नवत् है:-

क्र0सं0	मण्डल	विवरण	फोटो
1.	झांसी मण्डल	दिनांक 26.04.2022 को गाडी संख्या 12192 डा. के ग्वालियर प्लेटफार्म नं. 02 से चलने पर एक व्यक्ति उसके साथी रह जाने के कारण चलती ट्रेन से उतरने पर ट्रेन के नीचे पटरी पर गिर गया जिसे मौके पर आरक्षक लवेन्द्र कुमार रे.सु.वि.ब. व आरक्षक अमित कुमार रे.सु.वि.ब. द्वारा तुरन्त गाडी को ए0सी0पी0 करके रोका गया और यात्री को ट्रेन के नीचे से निकाला गया। सूचना पर स0उ0नि0 नरोत्तम मीना व प्र0आर0 राजवीर सिंह पहुंचे तथा यात्री के सिर में चोट लगने के कारण उसको डिप्टी एस. एस. कॉमर्शियल कार्यालय लाकर प्राथमिक उचपार दिया। बाद नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राज कश्यप, पुत्र श्री सखाराम, उम्र 24 वर्ष, निवासी आजाद वार्ड शिवनी, जिला शिवनी (म0प्र मो. नं. 6261273442, पी.एन.आर. नम्बर 8550436352 जबलपुर से मथुरा) बताया। उसके साथ यात्री मित्र नाम शिवांगी वर्मन, पुत्री श्री छोटलाल वर्मन, उम्र-21 वर्ष, निवासी-बीजा डाण्डी, जिला-मण्डला (म0प्र0) मो.नं. 6268909210 थी और उसको अविलम्ब जयारोग्य अस्पताल के ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया।	
2.	प्रयागराज मण्डल	दिनांक 21.4.2022 को DSCR/IZN द्वारा सूचना दी गई कि 02 लड़कियां घर से भाग गई हैं तथा उक्त दोनों लड़कियां जीआरपी अनुरक्षण दल के साथ गाडी संख्या 05380 से कानपुर से अनवरगंज आ रही हैं। उपनिरीक्षक इकरार हुसैन जीआरपी/सीपीए द्वारा लड़कियों की सुरक्षा एवं देखभाल हेतु महिला बलकर्मी की मांग पर हेड कांस्टेबल पुष्पा देवी को दोनों लड़कियों की सुरक्षा हेतु ड्यूटी पर तैनात किया गया। दिनांक 22.4.2022 को उपनिरीक्षक श्री राम पटेल थाना गुरसहायगंज, स्टाफ एवं लड़कियों के परिजन जिन्हें इकरार हुसैन उपनिरीक्षक जीआरपी अनवरगंज के द्वारा 1. कुमारी ग्रेसी, पुत्री विपिन कुमार अहलावत, उम्र लगभग 13 वर्ष, निवासी मोहल्ला रामगंज, थाना गुरसहायगंज, जिला कन्नौज, 2. कुमारी दिव्या यादव, पुत्री महेंद्र सिंह यादव, उम्र लगभग 14 वर्ष, ग्राम खिवराजपुर, थाना गुरसहायगंज, जिला कन्नौज को उपनिरीक्षक श्री राम पटेल थाना गुरसहायगंज को परिजनों की उपस्थिति में सुपुर्द किया गया।	
3.	प्रयागराज मण्डल	दिनांक 10.04.2022 को निरीक्षक रे.सु.ब पोस्ट नैनी व निरीक्षक जीआरपी मानिकपुर की संयुक्त टीम के सघन चेकिंग अभियान में शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 02 से एक गांजा तस्कर संजीव कुमार पाण्डेय पुत्र रोहिणी प्रसाद पाण्डेय उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम खया उमरिया थाना सोहागी जिला रीवा (मध्य प्रदेश) को 02 ट्राली बैग एवं एक पिट्टू बैग में कुल 41.10 किग्रा0 अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया जिसका साथी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजवंली पता ककरहटा पोस्ट खुजरी जिला प्रयागराज मौके से फरार हो गया। बरामद गांजे की कुल कीमत लगभग 4,10,100/- रुपये। पूछताछ में पकड़े गये अभियुक्त ने बताया कि बरामद गांजे को जयपुर (जिला-कोरापुट उड़ीसा) से खरीद कर ट्रेन से जगदलपुर लाये, जगदलपुर से बस द्वारा रायपुर, रायपुर से ट्रेन द्वारा शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन लेकर आये थे जिसे लेकर मौके से भागे अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के घर जा रहे थे। पकड़े गये अभियुक्त के विरुद्ध जीआरपी मानिकपुर में मु0अ0सं0 20/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।	

4.	आगरा मण्डल	<p>दिनांक 06.04.2022 को मथुरा जंक्शन के प्रभारी निरीक्षक अवधेश गोस्वामी के नेतृत्व में SIFP जितेंद्र परिहार हमराह स्टाफ के साथ समता एक्सप्रेस के प्लेटफार्म नंबर 2, 3 के आगमन पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति पिड्डू बैग के साथ मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम रवि सैनी पुत्र स्वर्गीय चरण सिंह सैनी, उम्र 42 वर्ष, निवासी मकान नंबर 13/152 सदर बाजार माली मोहल्ला, थाना सदर, जिला मथुरा बताया तथा बैग चेक करने पर 14 किलो 850 ग्राम सफेद धातु (चांदी) एवं 4,85,000 नगद मिले उक्त को हिरासत में लेकर आरपीएफ पोस्ट आये, मौके पर जीआरपी स्टाफ उपस्थित हुआ, जिसे अग्रिम कार्रवाई हेतु एवं सेल टैक्स विभाग को सूचित कर बरामद माल की इन्वेंटरी कराई गई।</p> <p>चांदी के जेवरात का विवरण—एक पिड्डू बैग में 14 किलो 850 ग्राम बजनी सफेद धातु (चांदी की पायल) एवं 4,85,000 नगद।</p> <p>कृत कार्रवाई—असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर सचल दल तृतीय इकाई मथुरा को अग्रिम कार्रवाई हेतु सुपुर्द किया जा रहा है, रवि सैनी से प्राप्त सफेद धातु (चांदी की अनुमानित कीमत) करीबन 6,00,000 एवं नकद 4,85,000 कुल 10,85,000 रुपए है।</p>	
5.	झांसी मण्डल	<p>दिनांक 24.04.2022 को CPD टीम, रे.सु.ब. पोस्ट ग्वालियर व डिटेक्टिव विंग द्वारा आपरेशन सतर्क के तहत ट्रेन सर्चिंग के दौरान मुरैना से ग्वालियर के मध्य गाड़ी सं. 18478 (उत्कल कलिंगा एक्स.) में 02 व्यक्तियों को लगभग 76 किलो 460 ग्राम चाँदी कीमत लगभग 53,52,000/- रु० के आभूषणों के पकड़ा गया। यात्री मौके पर चाँदी के आभूषणों के संबंध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर सके। वैधानिक कार्यवाही करते हुए यात्रियों को मय चाँदी के आभूषणों के राज्य कर विभाग, ग्वालियर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया।</p> <p>यात्री विवरण—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. राहुल चौधरी पुत्र रणवीर सिंह उम्र-24 वर्ष निवासी— बिसावर, जिला— हाथरस, उ.प्र। 2. सौरभ चौधरी पुत्र रणवीर सिंह उम्र 22 वर्ष निवासी— बिसावर, जिला— हाथरस, उ.प्र। 	